रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 666] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2003/श्रावण 3, 1925
No. 666] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2003/SRAVANA 3, 1925

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2003
आय-कर

का.आ. 855(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय कर (दसवां -संशोधन) नियम, 2003 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2003 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 67 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विनिधान की रीति निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात् :-

सारणी

विनिधान पद्धति

क्रम सं0	विनिधान	स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट निबन्धनों के अनुसार विनिधान किए जाने वाले धन की न्यूनतम प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)
(i)	लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में यथा परिभाषित केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां; और / अथवा ऐसे म्यूचुअल फण्डों, जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में	25 प्रतिशत

	विनिधान के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित किया गया है और जिन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, की यूनिटें ;	
(ii)	(क) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में यथा परिभाषित किसी राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी सरकारी प्रतिभूतियों और / अथवा ऐसे म्यूचुअल फण्डों, जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित किया गया है और जिन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, की यूनिटें ; और /अथवा (ख) अन्य किन्हीं परक्राम्य प्रतिभूतियों में, जिनकी मूल राशि और जिन पर ब्याज नीचे (iii)(क) के अधीन सम्मिलित के सिवाय केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: और शर्त के बिना प्रत्याभूतित है ।	15 प्रतिशत
(iii)	(क) किसी लोक वित्तीय संस्था या किसी पब्लिक कम्पनी या किसी पब्लिक सैक्टर बैंक के बांड / प्रतिभूतियां ; और / अथवा (ख) पब्लिक सैक्टर बैंकों द्वारा अल्पावधि (एक वर्ष से कम) की सावधि जमा प्राप्तियां	30 प्रतिशत
(iv)	न्यासियों द्वारा जैसा विनिश्चय किया जाए, उपर्युक्त तीन प्रवर्गों में से किसी में विनिधान	30 प्रतिशत

परन्तु 1 अप्रैल, 2003 से पूर्व किए गए विनिधान की परिपक्वता पर प्राप्त किन्हीं धनराशियों में से आबद्धकर जावक घटाकर इस उपनियम में विनिर्दिष्ट विनिधान की रीति के अनुसार विनिहित की जाएंगी ;

परन्तु यह और कि न्यासी उक्त सारणी के खण्ड (iv) में निर्दिष्ट रकम की एक तिहाई से अनधिक की रकम लोक सैक्टर कंपनी से भिन्न किसी कंपनी के बंधपत्रों में या प्रतिभूतियों में, जिनकी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत दो या दो से अधिक उधार रेटिंग अभिकरणों से कोई विनिधान श्रेणीकरण है, विनिधान कर सकेंगी ;

परन्तु यह भी कि इस उपनियम के दूसरे परन्तुक में वर्णित किसी प्रक्रम की रेटिंग की दशा में, जो विनिधान श्रेणी के अन्तर्गत आता है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम से कम दो उधार रेटिंग अभिकरणों द्वारा सत्यापित किया गया है, तब ऐसे परक्राम्य से निकासी के विकल्प का प्रयोग किया जा सकेगा और निर्गमित निधियां इस उपनियम की सारणी में उपबन्धित रीति के अनुसार विनिहित की जाएंगी ;

परन्तु यह भी कि ऐसी कोई रकम जो 31 मार्च, 2003 के पश्चात् विनिहित की गई है, किन्तु इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से ही 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2003 तक इस निमित्त प्रवृत्त विनिधान रीति के अनुसार विनिहित की गई है, उसे इस उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति में विनिहित किया गया समझा जाएगा ;

स्पष्टीकरण 1- इस उपनियम में विनिर्दिष्ट विनिधान की रीति गत वर्ष में निधि में विनिधान योग्य धनराशि की कुल रकम को लागू होगी ।

स्पष्टीकरण 2 - इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, -

(i) " लोक वित्तीय संस्था" पद का वही अर्थ है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क में है,

(ii) " पब्लिक सैक्टर कम्पनी " पद का वही अर्थ है जो आय कर अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (36क) में है, और

(iii) " पब्लिक सैक्टर बैंक " पद का वही अर्थ है जो आय कर अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (23घ) में है । "

[अधिसूचना सं. 180/2003/फा. सं. 149/84/2003-टी.पी.एल.]

चन्द्रजीत सिंह, अवर सचिव

टिप्पण—मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969 तारीख 26-3-1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और जिनका समय-समय पर संशोधन किया गया था, अन्तिम संशोधन का.आ. 705(अ) तारीख 18-6-2003 द्वारा किया गया।

स्पष्टीकरक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं0एफ 5(18) / ईसीबी /2001 तारीख 6 मार्च, 2003 द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि, अनुमोदित अधिवर्षिता निधि और उपदान निधि द्वारा किए जाने वाले विनिधान का पैटर्न विनिर्दिष्ट किया है । उक्त अधिसूचना 1 अप्रैल, 2003 से प्रवृत्त हुई है । आय-कर नियम, 1962 के नियम 67 में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट पैटर्न पर विनिधान निधि के धन से संबंधित उपबंध हैं । अत : आय-कर नियम, 1962 के नियम 67 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उक्त नियम में अधिसूचना सं0 सं0एफ 5(18) / ईसीबी /2001 द्वारा अधिसूचित 1.4.1998 से जो उक्त अधिसूचना सं0 सं0एफ 5(18) / ईसीबी /2001 तारीख 6 मार्च, 2003 के प्रवृत्त होने की तारीख है, विनिधान के पैटर्न का उपबंध किया जा सके ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना के भूतलक्षी प्रवर्तन से निर्धारितियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 25th July, 2003
INCOME-TAX

S.O. 855(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (10th Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the first day of April, 2003.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 67, for sub-rule (2) the following shall be substituted, namely:-

"(2) The manner of investment referred to in sub-rule(1) shall be in accordance with the following Table, namely:-

TABLE

INVESTMENT PATTERN

S.No.	Investment	Minimum percentage of investible moneys to be invested in items referred to in column (2)
(1)	(2)	(3)
(i)	in Central Government securities as defined in section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944); and/or units of such Mutual Funds which have been set up as dedicated Funds for investment in Government Securities and which have been approved by the Securities and Exchange Board of India;	Twenty-five per cent.
(ii)	(a) in Government securities as defined in section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), created and issued by any State Government; and or units of such Mutual Funds which have been set up as dedicated Funds for investment in Government Securities and which have been approved by the Securities and Exchange Board of India; and/or (b) in any other negotiable securities, the principle whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government except those covered under (iii) (a) below;	Fifteen per cent.
(iii)	(a) in bonds/securities of a public financial institution or of a public sector company or of a public sector bank; and/or, (b) short duration (less than a year) Term Deposit Receipts (TDR) issued by public sector banks.	Thirty per cent.
(iv)	to be invested in any of the above three categories, as decided by their Trustees.	Thirty per cent.:

Provided that any moneys received on the maturity of investments made prior to the 1st day of April, 2003, reduced by obligatory outgoings, shall be invested in accordance with the manner of investment specified in this sub-rule:

Provided further that the trustees may invest an amount not exceeding one-third out of the amount referred to in clause (iv) of the said Table in the bonds or securities of any company, other than a public sector company, which have an investment grade rating from at least two credit rating agencies registered under sub-section (1A) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992):

Provided also that in the event of the rating of any instruments mentioned in the second proviso to this sub-rule falling below the investment grade, as certified by at least two credit rating agencies registered under sub-section (1A) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), then the option of exit from such instruments can be exercised and the released funds shall be invested in accordance with the manner provided in the Table of this sub-rule:

Provided also that any amount invested after 31st March, 2003, but on or before the date of issue of this notification in accordance with the manner of investment in force in this behalf from the 1st day of April, 1997 to 31st March, 2003, shall be deemed to have been invested in the manner specified in this sub-rule.

Explanation 1.- The manner of investment specified in this sub-rule shall apply to the aggregate amount of investible moneys with the fund in the previous year.

Explanation 2.- For the purposes of this sub-rule,-
(i) the expression "public financial institutions" shall have the meaning assigned to it in section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
(ii) the expression "public sector company" shall have the meaning assigned to it in clause (36A) of section 2 of the Income-tax Act; and
(iii) the expression "public sector bank" shall have the meaning assigned to it in clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act.".

[Notification No. 180/2003/F. No. 149/84/2003-TPL]
CHANDRAJIT SINGH, Under Secy.

Footnote :—The principal rules were published under Notification No. S.O. 969 dated 26-3-1962 which has been amended from time to time, the last amendment being S.O. No. 705(E) dated 18-6-2003.

Explanatory Memorandum

The Central Government in the Department of Economic Affairs has specified by notification no F5(18)/ECB/2001 dated 6th March,2003, the pattern of investment to be made by recognised provident funds, approved superannuation funds and approved gratuity funds. The said notification has come into force on the 1st day of April, 2003. Rule 67 of the Income-tax Rules, 1962 contains provisions relating to investment of fund moneys in the manner specified from time to time by the Department of Economic Affairs. It is, therefore, proposed to amend Rule 67 of the Income-tax Rules, 1962 so as to provide in the said rule the pattern of investment notified by notification no F5(18)/ECB/2001 of Department of Economic Affairs, with effect from 1.4.2003, being the date from which the said notification no. F5(18)/ECB/2001, dated 6th March,2003 came into force.

It is certified that the retrospective operation of this notification shall not prejudicially affect the interests of the assessees.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.